

पत्र
06/4/2018

महत्वपूर्ण

संख्या- 206 /XV-2/07(33)/2010(डेरी)

प्रेषक,
आर० मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

पशुपालन अनुभाग-02

देहरादून, दिनांक: 06 अप्रैल, 2018

विषय:- उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अन्तर्गत सुगम एवं दुर्गम स्थलों के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-21/स्था0/स्थानान्तरण पत्रा0/2018-19, दिनांक 05.04.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. प्रकरण के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डेरी विकास विभाग के अन्तर्गत लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 4(3) व 5 के अन्तर्गत दुर्गम एवं सुगम स्थलों का निर्धारण निम्नवत किया गया है :-

क्रमांक	सुगम जनपद का नाम	क्रमांक	दुर्गम जनपद का नाम
1	देहरादून	1	उत्तरकाशी
2	टिहरी	2	रुद्रप्रयाग
3	हरिद्वार	3	चमोली
4	ऊधमसिंहनगर	4	बागेश्वर
5	नैनीताल	5	पौड़ी
6	अल्मोड़ा	6	पिथौरागढ़
		7.	चम्पावत

3. अतः स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के अनुरूप डेरी विकास विभाग के स्तर पर सुगम एवं दुर्गम स्थलों के वर्गीकरण को विभागीय वेबसाइट में तत्काल अपलोड करते हुये, कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

o/c (आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।